(67) (2)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल केम्प, भोपाल

प्रकरण क्रमांक R-3828-PBR/13

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा उप पंजीयक
श्री बी.बी. सिंह आ. स्व. श्री ~~टी.बी.~~ बी.पी. सिंह
उप पंजीयक कार्यालय- शेड क्रमांक-05,
12 दफ्तर जवाहचौक, भोपाल --------- आवेदक।

विरूद्ध

(1) श्री गोविन्द रियल्टी प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्टर श्री ओ.पी. कृपलानी
आत्मज स्व. श्री मूलचंद कृपलानी
निवासी- पी.बी.-5, ब्लाक
मानसरोवर काम्लेक्स, होशंगाबाद
रोड भोपाल

(2) श्री राजकुमार अरोरा आयु वयस्क
आत्मज श्री किशनलाल अरोरा
निवासी-एच.आई.जी.ई.- 7/414,
अरेरा कालोनी भोपाल --------- अनावेदकगण

MA बी.बी. सिंह स्वयं के द्वारा आज दि० 30/9/13 को प्रस्तुत।
30/9/13
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

2/10/13

निगरानी अंतर्गत धारा 56 भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम

आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला पंजीयक भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/ब-103/12-13/धारा 33 (उप पंजीयक विरूद्ध श्री गोविन्द रियल्टी प्रा.लि. व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/07/2013 से यथीत होकर वर्तमान निगरानी विधिवत् समयावधि में नम्नलिखित ठोस वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3828-पीबीआर/13 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	आवेदक को सुना गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण के मध्य दिनांक 22-3-2007 को अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाकर उप पंजीयक से पंजीबद्ध कराया गया । तत्पश्चात दिनांक 21-8-2008 को अनावेदकगण द्वारा अनुबंध पत्र में संशोधन किया जाकर पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उप पंजीयक द्वारा उक्त संशोधन में सारभूत परिवर्तन मानते हुए मुद्रांक शुल्क रूपये 4,89,830/- एवं पंजीयन शुल्क रूपये 1,96,110/- वसूल किये गये । तदोपरान्त अनावेदकगण द्वारा 100/- के मुद्रांक शुल्क पर प्रश्नाधीन अनुबंध पत्र में पुन: संशोधन किया गया, जिस पर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन संशोधन अनुबंध पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिबद्ध कर कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, भोपाल को भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/ब-103/12-13/धारा 33 दर्ज कर दिनांक 1-7-2013 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 38,00,845/- अवधारित किया जाकर रूपये 50,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 38,50,845/- जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ अनावेदक शासन की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के मध्य निष्पादित संशोधन अनुबंध पत्र से सारभूत परिवर्तन हुआ है, क्योंकि भूमिस्वामी राजकुमार से अनावेदक क्रमांक 1 को 3300 वर्गफीट भूमि का अन्तरण हुआ है, जिसे बटवारा मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि यह प्रकरण बटवारे का नहीं है, बल्कि प्रश्नाधीन संशोधन अनुबंध पत्र द्वारा भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 2 राजकुमार से विकासकर्ता अनावेदक क्रमांक 1 गोविन्द रियल्टी प्रा.लि. को 3300 वर्गफीट भूमि का अन्तरण हुआ है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प को 3300 वर्गफीट भूमि पर अन्तरण के लिए व्यवसायिक दर से मुद्रांक शुल्क वसूल करना चाहिए था, अत: आवेदक की आपत्ति सही है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में मुद्रांक शुल्क की गणना की जाकर कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्प को भेजा जाता है । अध्यक्ष	